	Amount Outstanding (Rs.)
Orissa	44,13,875
Punjab	98,93,680
Uttar Pradesh	52,72,821
Assam	1,42,80,616
Tamil Nadu	26,26,020
Rajasthan	4,79,932
Andhra Pradesh	32,95,149
Karnataka	4,69,933
Bihar	66,57,022
Gujarat	7,81,099

Reinstatement of Additional Commissioner of Police

2450. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO:
SHRI SHAMIM HASHMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Gautam Kaul, former Additional Commissioner of Police (Security and Traffic) who was suspended in October, 1986 for grave security lapse at Rajghat following an attempt on the Prime Minister's life has been reinstated;

(b) whether the Departmental inquiry against Shri Kaul has since been completed; and

(c) if not, how he has been reinstated while such other officers who were exonerated by the competent authorities have not been reinstated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) to (c) Cases of officers under suspension are reviewed periodically and decision is taken after considering the totality of circumstances, on whether continued suspension is necessary.

This officer's case was reviewed accordingly and it was decided to reinstate him without prejudice to the disciplinary proceeding pending against him. There is no such other officer who has been exonerated by the competent authority and who continues to be under suspension.

Death of a boy under mysterious circumstances in a Government Flat in Pushp Vihar

2451. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he s aware of the death of a five year old boy on 1st October, 1988 in a Government flat in Pushap Vihar Sector-I, New Delhi in mysterious circumstances on which the area police authorities did not take any action for months together; if so, what are the details thereof; and

(b) what steps are being taken to investigate the matter and punish the culprits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Delhi Police received an annonymous complaint about the said death on 10-10-1988. The matter is under investigation.

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान के भूमिहीन मजदूरों का बीमा

2452. श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान, में दिसम्बर, 1988 तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितने भूमिहीन मजदूरों का बीमा कराया गया था ; और

(ख) इस योजना के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिसम्बर, 1988 तक राजस्थान में बीमित किए गए भूमिहीन श्रमिकों की कुल (अनुमानित) संख्या 2 लाख है ।

(ख) राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से सारे देश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना 15 अगस्त, 1987 से आरंभ की गई है जो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सभी भूमिहीन मजदूरों पर लागू होती है । इस योजना के अंतर्गत किसी भी परिवार का मुखिया, जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में एक भू-स्वामी के रूप में दर्ज नहीं है और जिसका किसी कृषि योग्य भूमि में वंशागत अधिकार नहीं है, यथा जिसे, इस प्रकार, एक भूमिहीन कृषि श्रमिक के रूप में माना गया है, का बीमा 1,000 रुपए की बीमित राशि के लिये किया जायेगा जिसकी अदायगी जीवन बीमा निगम द्वारा उस श्रमिक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को की जायेगी । इस योजना के अंतर्गत बीमित सदस्य को किसी प्रीमियम की अदायगी नहीं करनी पड़ती । पहले 3 वर्षों की अवधि के दौरान समस्त प्रीमियम लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है । 3 वर्ष के पश्चात् इस योजना का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

राजस्थान के बैंकों में जमा धनराशि

2453. श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के राष्ट्रीयकृत बैंकों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि जमा थी ;

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा राज्य में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऋण जमा अनुपात क्या था ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) वर्ष 1985, 1986 और 1987 के गत तीन वर्षों के अन्त में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियों और दिए गए ऋणों तथा राज्य में ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(रशि करोड़ रुपए)

वर्ष	जमा राशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात
1985	1878	1240	66.1
1986	2226	1445	64.9
1987	2736	1655	60.5

गैर-योजना व्यय

2454. श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दो गत वर्षों के दौरान गैर-योजना खर्चों में कमी करके कितनी धनराशि की बचत की ;

(ख) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई सफलता प्राप्त हुई ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (ग) आयोजना भिन्न व्यय में कटौती किए जाने के फलस्वरूप हुई वास्तविक बचत की राशि बताना संभव नहीं है, क्योंकि किसी शीर्ष विशेष के अन्तर्गत अंतिम रूप से समायोजित व्यय अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक निवल स्थिति होती है, जो किफायत बरतने संबंधी उपायों के कारण हुई बचतों से प्रति संतुलित हो